3134 11/12/13

श्री सुबोध कुमार राय के वाहन संख्या–BR-10E-6494 के पक्ष में भागलपुर बस स्टैण्ड से मोहनपुर मार्ग पर निर्गत स्थायी परमिट संख्या–547/1997 (JH) के प्रतिस्थापन पर श्री पंकज यादव द्वारा दर्ज आपत्ति पर दिनांक–04.12.2019 को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा की गयी सुनवाई की कार्यवाही :–

क्र0 सं0	परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	मार्ग	आपत्तिकर्ता का नाम	निर्णय
1.	547/1997(JH)	श्री सुबोध कुमार राय	BR-10E-6494	भागलपुर बस स्टैण्ड से मोहनपुर	श्री पंकज यादव	वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आपत्तिकर्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। दिनांक–06.09.2019 को उक्त मामले की सुनवाई में वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप में अपना पक्ष राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के समक्ष रखा गया, जिस पर आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु दो सप्ताह की मांग की गयी थी। उपरोक्त अनुरोध के आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक–13.09.2019 तक अपना प्रत्युत्तर तैयार कर वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निदेश देते हुए उक्त मामले की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–20.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निर्धारित की गयी, परन्तु दिनांक–20.09.2019 को आहूत सुनवाई में आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी अस्वस्थता के कारण सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विषयांकित मामले में अन्तिम मौका देते हुए सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–18.10.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निर्धारित की गयी। पुनः आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त सुनवाई में अनुपस्थित पाये गये। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उक्त सुनवाई की अंतिम तिथि दिनांक–04.12.2019 को निर्धारित की गयी, जिसमें आपत्तिकर्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता पुनः अनुपस्थित पाये गये। उक्त वाद की सुनवाई में आपत्तिकर्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहने एवं अपना पक्ष नहीं रखने एवं बिहार–झारखण्ड परिवहन समझौता, 2007 की कंडिका–2(ix) के आलोक में श्री सुबोध कुमार राय के वाहन संख्या–BR-10E-6494 के पक्ष में भागलपुर बस स्टैण्ड से मोहनपुर मार्ग पर निर्गत स्थायी परमिट संख्या–547/1997(JH) के प्रतिस्थापन पर श्री पंकज यादव द्वारा दर्ज आपत्ति को रद्द किया जाता है।

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर	जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर	उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना	राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार।